(141) (PA-16(B))

छत्तीसगढ़ शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
: : मंत्रालय : :
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ 7–12/2014/32 नया रायपुर, दिनांक 28/03/2014

प्रति,

संचालक,
नगर तथा ग्राम निवेश,
संचालनालय रायपुर ।

विषय :– **संरचना योजना (स्ट्रक्चर प्लान) तैयार करने हेतु छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश की धारा–73 के अंतर्गत जारी दिशा–निर्देश ।**

संदर्भ :– आपका ज्ञापन क्रमांक 497/PA-16 B/नग्रानि./2014, दि. 08 02.2014

छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत नगरों की विकास योजना तैयार करने हेतु अधिनियम की धारा–13 के अंतर्गत निवेश क्षेत्र गठन का कार्य तथा धारा–15 के अंतर्गत वर्तमान भूमि उपयोग का स्थरीकरण किया जाता है । भूमि के वर्तमान उपयोग के स्थरीकरण उपरान्त प्रारूप विकास योजना तैयार करने एवं प्रकियागत कार्यवाही करते हुए अंगीकृत करने मे काफी समय लगता है। इसके कारण धारा–16 के प्रकरणों के निराकरण में कठिनाई के साथ एकरूपता भी नहीं रहती है ।

2/ इस कठिनाई को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे निवेश क्षेत्र जिसमे नगरीय विकास की गति उतनी तीव्र नहीं है अथवा जिन नगरों की विकास योजना (मास्टर प्लान) तैयार किये जाने में समय लगने की संभावना है एवं जहां अधिनियम की धारा–15 के अंतर्गत वर्तमान भूमि उपयोग स्थरीकृत किये जा चुके है, ऐसे नगरों की सुनियोजित विकास की दिशा निर्धारित करने तथा अनियत्रित विकास को नियंत्रित करने हेतु प्रथमतः संरचना योजना (स्ट्रक्चर प्लान) तैयार कराई जावें ।

SRA.
29/3

D:\Suresh baruaa 2014\Ganaral letter.doc

संरचना योजना (स्ट्रक्चर प्लान) में विस्तृत भूमि उपयोग का निर्धारण नही करते हुए मुख्यतः निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए तैयार की जावें :–

01. प्रस्तावित मार्ग संरचना,

02. मोटे तौर पर भूमि उपयोग प्रक्षेत्र एवं प्रतिबंधित क्षेत्र,

03. शासकीय भूमि उपलब्धता के आधार पर सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक भूमि उपयोग एवं कार्य केन्द्रों का निर्धारण,

04. नगर के संवेदनशील ऐतिहासिक महत्व के स्थलों, स्मारकों को संरक्षित किया जाना,

05. जल स्त्रोतों एवं जल संग्रहण क्षेत्रों का संरक्षण,

06. नगरीय भौतिक अधोसंरचना विकास के प्रासंगिक स्थलों का चयन एवं आरक्षण,

07. धार्मिक महत्व के स्थल, मेला स्थल का संरक्षण ।

4/ उपरोक्त बिन्दुओं का समावेश करते हुए तैयार की गई संरचना योजना के अध्याय–4 में विकास नियमन एवं मानक को शामिल किया जावेगा तथा इसका अनुमोदन संचालक नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा किया जावेगा। संचालक द्वारा अनुमोदित संरचना योजना का धारा–16 के अंतर्गत स्थरीकृत भूमि उपयोग से भिन्न किसी अन्य उपयोग हेतु भूमि के उपयोग की तब्दीली तथा भूमि के विकास के क्रियान्वयन एवं अभिन्यास अनुमोदन हेतु मार्गदर्शी सिद्धांत के रूप में उपयोग किया जा सकेगा । ऐसे नगरों की विकास योजना अंगीकृत होने के पश्चात् संरचना योजना स्वतः समाप्त मानी जावेगी।

5/ अतः राज्य शासन, छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 73 के अंतर्गत उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(संजय शुक्ला) 27/3/14
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग